

## फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- राज्य

विपक्षी :- श्री किशनसिंह

किस्म मुकदमा - 84 रा.का.अ.

पत्रावली संख्या : 97/19

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 24.02.2021</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्षकारान की बहस सुनी।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अपनी भूमि मौजा मावली की आ.न. 5195/2941 रकबा 0.10 बीघा किस्म चा.उ. एवं आराजी नम्बर 4349/686 रकबा 0.16 बीघा किस्म चा.उ. जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी किशनसिंह पिता गमेरसिंह, हरकुबाई पत्नी किशनसिंह राजपूत सा. देह खातेदार के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हैं। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण द्वारा 1 नीम का वृक्ष, 1 बबुल का वृक्ष, 1 कनजिया का वृक्ष व छोटे छोटे 3 बोर के वृक्ष को काट दिया जिसका वनज लगभग 4 क्विंटल है जिसे तहसीलदार मावली द्वारा जब्त कर उक्त मामला धारा 84 के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार किया गया है। एवं कानून की जानकारी के अभाव में उक्त वृक्ष काटने का कथन किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज के अवलोकन से उक्त लकड़ी तहसीलदार मावली द्वारा जब्त कर किशनलाल पिता परमानन्द सालवी को सिपुर्द की गई है। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा बिना अनुमति के हरे वृक्ष काटे गये हैं, एवं अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में " राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 86 - अवैध रीति से हटाये जाने पर शास्तियां के बिन्दु संख्या 1 के तहत " प्रतिवादी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता उचित है। अतः वादी का वाद इसी स्तर पर स्वीकार किया जाता है।</p> <p><b>-: आदेश :-</b></p> <p>परिणामस्वरूप वादी का वाद धारा 84 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आ.न. 5195/2941 रकबा 0.10 बीघा किस्म चा.उ. एवं आराजी नम्बर 4349/686 रकबा 0.16 बीघा किस्म चा. उ. में प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा काटे गये 1 नीम का वृक्ष, 1 बबुल का वृक्ष, 1 कनजिया का वृक्ष व छोटे छोटे 3 बोर के वृक्ष के लिये प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 100/- एक सौ रूपया प्रति वृक्ष अर्थात कुल 600/- छः सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। एवं हिदायत दी जाती है कि भविष्य में ऐसी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं दोहराएंगे। तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से अर्थदण्ड की राशि वसूल की जावे एवं जब्तसुदा लकड़ी की निलामी की जाकर निलामी राशि मय अर्थदण्ड राशि राजकोष में जमा करा पालना से अवगत करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p>(मयंक मनीष I.A.S) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	



# मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO)मावली, जिला-उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

## उनवान

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....वादीगण

## बनाम

1. श्री किशनसिंह पिता गमेरसिंह राजपूत निवासी चमनपुरा तह.मावली।
2. श्रीमती हरकुबाई पत्नी किशनसिंह राजपूत निवासी चमनपुरा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 84 राज.काश्तकारी अधिनियम मुकदमा न0 : 97 / 19 (वाद)

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आ.न. 5195/2941 रकबा 0.10 बीघा किस्म चा.उ. एवं आराजी नम्बर 4349/686 रकबा 0.16 बीघा किस्म चा.उ. में प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा काटे गये 1 नीम का वृक्ष, 1 बबुल का वृक्ष, 1 कनजिया का वृक्ष व छोटे छोटे 3 बोर के वृक्ष के लिये प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 100/- एक सौ रूपया प्रति वृक्ष अर्थात कुल 600/- छः सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। एवं हिदायत दी जाती है कि भविष्य में ऐसी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं दोहराएंगे। तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण से अर्थदण्ड की राशि वसूल की जावे एवं जब्तसुदा लकडी की निलामी की जाकर निलामी राशि मय अर्थदण्ड राशि राजकोष में जमा करा पालना से अवगत करावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.02.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)  
सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली